प्रकरण संख्या 7/2018 बाबु बनाम हवसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम इमलीझरन में आराजी नंबर 33/2 रकबा 6 एकड़ भूमि स्थित है, जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर वादी मालिक काबिज है। प्रतिवादीगण ने करीब डेढ़ माह पूर्व वादी के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर जबरन मकान बनाने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को अतिक्रमी मानते हुए उसे बेदखल कर भूमि का आधिपत्य वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 28.06.2016 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.02.2018 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भगवतपुरी उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अशिक्षित होकर उन्हें राजस्व रेकार्ड की तकनीकी जानकारी नहीं है, निर्णय की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने तुरन्त अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधि प्रक्रिया अपनाये प्रकरण राजस्व लोक अदालत में निर्णित [illegible]या। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की किसी प्रकार की जानकारी नहीं ली गयी है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:49:30 IST
Reason: SelfAttested

दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत प्रकरण में कोई वाद बिन्दु तय नहीं किया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.03.2016 अनुसार प्रतिवादी को जवाब हेतु अवसर देकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 17.05.2016 नियत की गयी, किन्तु इसके बाद अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 17.05.2016 नहीं रखकर सीधे ही दिनांक 28.06.2016 को राजस्व कैम्प में रखकर सिर्फ प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की उपस्थिति में वादी का वाद स्वीकार कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। प्रकरण में किसी प्रकार की तनकी नहीं बनायी गयी है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर तनकीवार विवेचन करना चाहिए था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर एवं तनकियात कायम कर पक्षकारों को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:49:30 IST
Reason: SelfAttested